वाणिज्य–जोधपुर डिस्कॉम/ 427

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी.एड पी.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 2121 दि. 21.2.08

आदेश

विषयः शीतलहर एवं पाला से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों, जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हुई है, के चार माह के बिजली के बिलों की राशि का भुगतान माफ करने बाबत्।

राज्य में अभी हाल ही में जनवरी एवं फरवरी 2008 में अत्यधिक शीतलहर एवं पाला पड़ने से फसलो को काफी नुकसान हुआ हैं। उक्त स्थिति पर विचार कर राज्य सरकार ने ऐसे लघु एवं सीमान्त कृषकों जिनकी फसले 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है , को सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित "सहायता पैकेज" देने का निर्णय लिया है:–

1. शीतलहर एवं पाला पड़ने से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी फसल 50 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई है, उनसे चार माह अर्थात बिलिंग माह दिसम्बर, 2007 से मार्च 2008 तक के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं की जायेगी।
2. इसके अतिरिक्त यह सहायता पैकेज उन काश्तकारों को भी दिया जायेगा जिन्होने अपने स्वतंत्र रूप से नोशनल शेयर के आधार पर स्वतंत्र रूप से धारित भूमि का कुल रकबा यदि "लघु एवं सीमान्त कृषकों" के लिये धारित रकबा के बराबर है।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में संबंधित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर "शीतलहर एवं पाला" से प्रभावित गांवो के उपरोक्त श्रेणी के काश्तकारों की ग्रामवार एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐंगे। इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा बिलिंग माह दिसम्बर, 2007 से मार्च, 2008 के बिलों की राशि माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित की जाये। मुख्य लेखाधिकारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम के निदेशक मण्डल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से

(ओ.पी. मंगल)
अधीक्षण अभियन्ता (आरए–सी)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर